



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला-शाजापुर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1079 दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक अभि. द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया । आवेदक अभि. द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे अब रिव्यू प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते । अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



८६

श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. अवालेयर (कम्प-उपजैम)  
 ५०६००/१५ पुनर्विलोकन

गीताबाई आदि - - - अधीशान  
 भूरा आदि - - - प्रतिपक्षी

पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र वापस लिये जाने हेतु

माननीय महोदय  
 उक्त संदर्भित आवेदन पत्र वापस किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निवेदन है कि :-


(1) अधीशान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. अवालेयर द्वारा ५०६०० निशरानी १९०६/२००५ में पारित आदेश दि. १० फरवरी २०१५ में असंपूर्ण होकर इस न्यायालय में पुनर्विलोकन मायिका प्रस्तुत है जिसमें आज शायदा के सम्बन्ध में ऐसी नियत

(2) यादकि अधीशान तथा प्रतिपक्षीशान आपस में रिश्तेदार होकर उक्त विवाद में आपसी बातचीत करना चाहते हैं इस कारण से वे प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र की सुनवाई नहीं करवाना चाहते

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई में म.प्र. लिये जाने के साथ ही संलग्न मूल दस्तावेजों की प्राप्ति प्रदान करने सम्बन्धी आदेश देने की कृपा करें।  
 यही विनमर है।

दि. वि. ३०.५.२०१५

अधीशान  
 गीताबाई ड  
 - - - आवेदन

 - द्वारा उभायी  
 (K.C. Dave Ad.)